प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0) उत्तराखण्ड राज्य में खरीफ 2016 से लागू

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी0एम0एफ0बी0वाई0) को **मौसम खरीफ 2016** से लागू करने संबन्धी राज्य अधिसूचना (संख्या–651/XIII-1/2016–1 (3)2002, दिनांक 29.04.2016) जारी की जा चुकी है। जिसके क्रम में कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा योजना से संबन्धित विस्तृत विवरण कृषि निदेशालय के पत्रांक–726/कृ0सां0/कृ0बीमा/2016–17/दिनांक 02.05.2016 के द्वारा जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में योजना के कियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड **(ए0आई0सी0)** को अधिकृत किया गया है।

संसूचित फसलें, जिले,बीमा की इकाई एवं बीमित राशि का विवरण निम्नानुसार हैः

फसल	ज़िला	बीमा की इकाई	बीमित राशि (रु0)
चावल	उधमसिंहनगर, नैनीताल मैदानी, हरिद्वार एवं देहरादून मैदानी,	न्यायपंचायत/ Clubbed न्यायपंचायत	**बीमित राशिः** ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिये बीमा राशि प्रति हेक्टेयर संसूचित फसल के ऋण वित्तमान के अनुसार होगी। ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि ऋण वित्तमान को संसूचित फसल के क्षेत्रफल से गुणा करके निर्धारित किया जायेगा तथा गैर ऋणी कृषकों की बीमित राशि सम्बन्धित कृषक द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रफल को ऋण वित्तमान से गुणा करके बीमित राशि निकालकर आच्छादन किया जायेगा।
चावल एवं मण्डुआ	देहरादून पर्वतीय, पौडी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी,उत्तरकाशी, अल्मोडा, बागेश्वर पिथौरागढ, चम्पावत, एवं नैनीताल पर्वतीय	तहसील/ Clubbed तहसील	

मौसम खरीफ 2016 मे बीमा के लिए जिलेवार/फसलवार कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर एवं बीमित राशिः

फसल **चावल** के लिए बीमित राशि एवं कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर				फसल **मण्डुआ** के लिए बीमित राशि एवं कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर	
क्र सं.	जनपद	बीमित राशि (रूपये/हे.)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर (%)	बीमित राशि (रूपये/हे.)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर (%)
1	चमोली	37800	1.19	20000	0.36
2	देहरादून(पर्व)	68500	1.19	25700	0.46
3	देहरादून(मै0)	68500	1.94	--------	--------
4	हरिद्वार	62500	2.00	--------	--------
5	पौड़ी गढ़वाल	35000	1.70	20000	0.46
6	रूद्रप्रयाग	37000	1.24	20000	0.36
7	टिहरी गढ़वाल	35960	1.90	35960	0.36
8	उत्तरकाशी	66555	1.80	28540	0.32
9	अल्मोड़ा	40000	1.25	19050	0.56
10	बागेश्वर	34763	1.00	18375	0.78
11	चम्पावत	37018	1.25	28000	1.80
12	नैनीताल(पर्व0)	70000	1.25	40000	1.25
13	नैनीताल(मै0)	70000	1.25	--------	--------
14	पिथौरागढ़	37500	0.90	34000	1.00
15	ऊधमसिंहनगर	75000	0.95	--------	--------

बीमा करने की प्रकियाः– संसूचित क्षेत्रों में संसूचित फसल के लिए दिनांक 31.07.2016 तक ऋण वित्तमान के अनुसार स्वीकृत ऋण/वितरित ऋण का शतप्रतिशत (जिन कृषकों ने 01.04.2016 से 31.07.2016 तक ऋण आहरित किया है।) वित्तीय संस्थाओं अथवा सहकारी समितियों द्वारा योजना के अंतर्गत नियमानुसार **अनिवार्य रूप से बीमित किया जाना है।** संसूचित क्षेत्रवार घोषणा पत्र, आच्छादन विवरण, प्रीमियम डी0डी0 के साथ समयानुसार ए0आई0सी0 के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को प्रेषित करना है। जिन कृषक भाइयों ने ऋण नहीं लिया है, वे बैंक की किसी निकटस्थ शाखा, सहकारी समिति (जहां उनका खाता है), ए0आई0सी0 के प्रतिनिधि तथा कार्यालय अथवा अधिकृत संस्था के संबन्धित कार्यालय एवं उनके एजेंट को प्रस्ताव पत्र एवं आवश्यक प्रपत्र तथा प्रीमियम राशि उपरोक्तानुसार निश्चित तिथि **दिनांक 31.07.2016** तक जमा कराके अपनी संसूचित फसल का बीमा करवा सकते है। ए0आई0सी0 को बैंको से ऋणी/अऋणी कृषकों के घोषणा पत्र, आच्छादन विवरण, प्रीमियम डी॰डी॰/चैक सहित प्राप्त करनें की अन्तिम तिथि **15.08.2016 है।** Nodal Banks/Bank Branches will remit Premium through NEFT/DDs favoring Agriculture Insurance Company of India Limited – **Axis Bank A/c – 093010200004992,** payable at Dehradun. The Branch IFS Code- UTIB0000093 may be utilized for NEFT purpose**.**

————————क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/दावा भुगतान की प्रक्रिया————————

(अ) फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित): व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक आपदा (सूखा,बाढ,जलप्लावन,कीट,बीमारी,भूस्खलन आदि) के कारण सम्बन्धित बीमा इकाई क्षेत्र में फसल की ऊपज़ में कमी होने से नियमानुसार क्षतिपूर्ति देय होती है। इसके लिए कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये फसल कटाई प्रयोग द्वारा प्राप्त उत्पादकता के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है।

(ब) बुवाई नही हो पाने की स्थिति में (क्षेत्र आधारित): अल्पवृष्टि/अतिवृष्टि अथवा अन्य मौसमी कारकों के विपरीत प्रभाव के कारण संसूचित क्षेत्र में बुवाई नही हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25% तक का भुगतान नियमानुसार किया जा सकता है यदि संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल की बुवाई की जाने वाले क्षेत्रफल में से 75% क्षेत्रफल पर बुवाई नही होती है। लेकिन इस व्यवस्था के अन्तर्गत दावा भुगतान के पश्चात् सम्बन्धित इकाई क्षेत्र में किसान उपज आधारित दावा के लिए पात्र नही होंगे।

(स) फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में (क्षेत्र आधारित): फसल की अवधि में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे–बाढ़, लम्बे सूखे की स्थिति आदि होती है तो सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा भुगतान मौसम के दौरान नियमानुसार किया जा सकता है यदि संसूचित क्षेत्र में अनुमानित ऊपज, थ्रेसहोल्ड ऊपज के 50% से कम है।

(द) स्थानीय आपदाओं के मामले मे क्षति का आंकलनः स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि,भूस्खलन एवं जलप्लावन के मामलों में व्यक्तिगत आधार पर नियमानुसार क्षति का आंकलन किया जाता है। इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे सम्बन्धित वित्तीय संस्था, ज़िला कृषि विभाग एवं ए0आई0सी0 के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को तत्काल तथा अनिवार्य रूप से 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण तथा समय आदि सहित सूचित करेंगे।

(य) फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिये विखेर कर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारणः प्राकृतिक आपदायें यथा **चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बेमौसमी बारिश** के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, यदि कटी हुई फसल खेत में अधिकतम 14 दिन तक सूखने के लिए विखेर कर रखी जाती है तथा इस अवधि में उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी नियमानुसार आंकलन किया जायेगा। इन जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/क्रियान्वयक अभिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल एवं अनिवार्य रूप से 48 घन्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे।

विस्तृत जानकारी के लिए भारत सरकार द्वारा ज़ारी प्रशासनिक/परिचालन दिशा–निर्देश तथा राज्य सरकार द्वारा ज़ारी शासनादेश देखें। किसान भाई योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, जिला कृषि विभाग, निकटतम सहकारी समिति या बैंक की शाखा अथवा निम्न पते पर सम्पर्क करें।

शिकायत के मामले में निवारण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करें
(दूरभाषः135–2740244, मो0–9411393141, ईमेल–ro.dehradun@aicofindia.com)
ए0आई0सी0 की वेबसाइट–www.aicofindia.com के माध्यम से *शिकायत आनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है।*

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय : 56, राजपुर रोड़ (होटल क्लासिक के पीछे), देहरादून – 248001, उत्तराखण्ड।
फोन/फैक्स 0135–2740244, ई मेल–ro.dehradun@aicofindia.com
प्रधान कार्यालय : 13वीं मंजिल, अम्बादीप बिल्डिंग, 14 के॰जी॰ मार्ग, नई दिल्ली – 110001

सम्पन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।
सोचो बीमा फसल की सोचो हमेशा ए0आई0सी0

बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।